

बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

संकल्प

मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना (MGSY) अंतर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बाँका-02 के अधीन निविदा (टेंडर आई0डी0 140510) में फर्जी Bank Credit Facility समर्पित करने के कारण संवेदक Choubatia Construction Pvt.Ltd को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली (ग्रामीण कार्य विभाग) 2007 के तहत विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक-9174 दिनांक 26.08.2025 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया गया।

कालीकरण के विरुद्ध संवेदक द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन पर अपीलीय प्राधिकार-सह-अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा सुनवाई के क्रम में निविदा के तकनीकी बीड के निष्पादन से संबंधित संचिका एवं कागजातों की विस्तृत जाँच की गयी। जाँचोपरान्त निर्गत सकारण आदेश ज्ञापांक 9887 दिनांक 15.09.2025 में निम्न तथ्य स्पष्ट किया गया है:-

Choubatia Construction को प्रथम तकनीकी बीड समिति की कार्यवाही दिनांक 27.05.2025 में योग्य घोषित किया गया। तत्पश्चात् Shivmay Construction Ltd द्वारा Choubatia Construction के विरुद्ध दिनांक 02.06.2025 को एक परिवाद दिया गया, जिसमें कुल आठ बिन्दु थे। इन आठ बिन्दुओं के संबंध में मुख्यालय से अभियंता प्रमुख के हस्ताक्षर से दिनांक 06.06.2025 को Choubatia Construction को जवाब देने के लिए पत्र दिया गया एवं कार्यपालक अभियंता को भी परिवाद के संबंध में जाँच करने का निर्देश दिया गया। Choubatia Construction द्वारा दिनांक 08.06.2025 को इन आठ बिन्दुओं पर अपना जवाब समर्पित कर दिया गया। उसके बाद संचिका में Shivmay Construction द्वारा दिनांक 02.06.2025 का ही एक दूसरा परिवाद रक्षित है जो अभियंता प्रमुख को संबोधित है, परन्तु यह न तो अभियंता प्रमुख के कार्यालय में दिया गया है एवं न ही इसपर अभियंता प्रमुख कार्यालय से कोई जवाब पूछा गया बल्कि यह परिवाद मात्र एक बिन्दु पर है कि Choubatia Construction द्वारा दिये गये बैंक सर्टिफिकेट उचित प्रपत्र में नहीं है एवं यह गलत है, अतः इसका सत्यापन करना आवश्यक है। इस परिवाद को कार्यपालक अभियंता द्वारा दिनांक 05.06.2025 को Choubatia Construction को भेजा गया एवं दिनांक 06.06.2025 को Canara Bank को सत्यापन के लिए भेजा गया है।

यह परिवाद पत्र संदिग्ध प्रतीत होता है क्योंकि मूल परिवाद के साथ यह बिन्दु अभियंता प्रमुख के कार्यालय में न तो दिया गया एवं न ही इसे अभियंता प्रमुख के द्वारा Choubatia Construction को भेजा गया है। द्वितीयतः जो परिवाद अभियंता प्रमुख के कार्यालय में दिया गया उसके साथ 100/-रु० का Non-Judicial E-Stamp पर शपथ पत्र है एवं यह Stamp दिनांक 02.06.2025 को ही खरीदा गया है जबकि कार्यपालक अभियंता के कार्यालय में दिये गये परिवाद के साथ शपथ पत्र पर जिला कोषागार, बाँका का दिनांक 01.04.2025 को खरीदने की मुहर है तथा इस पर मात्र इसी एक बिन्दु पर परिवाद दिया गया एवं इसमें कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि इस बिन्दु के अलावा Shivmay Construction के द्वारा Choubatia Construction के विरुद्ध कोई और परिवाद दिया गया है। यह प्रतीत होता है कि इसे तकनीकी बीड समिति की कार्यवाही अपलोड होने के पाँच कार्यदिवस की निर्धारित अवधि के बाद बैकडेट में कार्यपालक अभियंता को हाथों हाथ दिया गया।



इस परिवाद के संबंध में बैंक सर्टिफिकेट के सत्यापन में Canara Bank द्वारा अपने पत्रांक 06/2025/08 दिनांक 10.06.2025 के द्वारा कार्यपालक अभियंता, बांका-2 को यह लिखा गया है कि उनके द्वारा दिया गया बैंक सर्टिफिकेट में टंकण भूल है एवं यह 25% की जगह 5% होगा।

इस संबंध में Choubatia Construction द्वारा यह कहा गया कि कि कार्यपालक अभियंता द्वारा उनसे जबरदस्ती इस मामले में दिनांक 09.06.2025 को एक पत्र लिखवाया गया, जिसमें यह लिखवाया गया कि उनके बैंक सर्टिफिकेट 5% का है जबकि शेष अन्य बिन्दुओं के बारे में उनका जवाब संतोषजनक था एवं निविदा समिति के द्वारा उसे पुनः समीक्षा दिनांक 30.06.2025 में स्वीकार भी कर लिया गया।

यह पत्र कार्यपालक अभियंता के द्वारा खुद से जबरन लिखवाया गया यह इससे भी प्रमाणित होता है कि दिनांक 14.06.2025 को कार्यपालक अभियंता, बांका 2 के द्वारा अपने Official Mobile No.-8986915881 के द्वारा Choubatia Construction को HDFC Bank का इसी तरह का लिखा हुआ एक सर्टिफिकेट की प्रति भेजी गयी एवं उसे कहा गया कि इसी लाइन पर वे Canara Bank से लिखवाकर सर्टिफिकेट दे। यह इससे भी प्रमाणित होता है कि Canara Bank द्वारा दिये गये सत्यापन सर्टिफिकेट जिसमें उन्होंने टंकण भूल की बात कही है, वह वाट्सअप पर भेजे गये HDFC Bank के प्रारूप के अनुरूप ही है। बाद में केवल इसी बिन्दु पर Choubatia Construction को अयोग्य ठहरा दिया गया।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट हुआ कि

- i. Choubatia Construction को अनावश्यक रूप से दवाव देकर गलत Bank Credit Facility सर्टिफिकेट देने की बात को स्वीकार करने पर मजबूर किया गया।
- ii. Shivmay Construction द्वारा दिये गये परिवाद पत्र को बाद में कार्यपालक अभियंता द्वारा पूर्व तिथि दर्शाते हुये स्वीकार किया गया क्योंकि तब तक यह स्पष्ट हो चुका था कि Shivmay Construction द्वारा दिये गये मूल परिवाद पत्र के आठों बिन्दुओं से Choubatia Construction अयोग्य घोषित नहीं होंगे।
- iii. इसी प्रकार न केवल Choubatia Construction को कालीकृत करने का आदेश गलत है बल्कि इस पूरी निविदा प्रक्रिया को Vitiate किया गया, जिसके लिये कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बांका-2 पूर्णरूपेण दोषी है।

उपर्युक्त अनियमितता के लिए संबंध कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बांका-2 को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का निदेश दिया गया।

उक्त निदेश के आलोक में बरती गई गंभीर अनियमितता के लिए उससे संबंध तदेन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, बांका-2, श्री सत्येन्द्र नारायण राय को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित करने हेतु सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त हुआ।



अतः श्री सत्येन्द्र नारायण राय, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बांका-2 सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, जॉच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रमंडल, मधुबनी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिये निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री राय का मुख्यालय, मुख्य अभियंता, निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण बिहार, पटना का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्री राय को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 10(1) के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। विभागीय कार्यवाही के लिए आरोप पत्र एवं संकल्प अलग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(अभय झा)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :- 2/अ०प्र०-1-132/25-10065

/पटना, दिनांक:- 18.09.25

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ (आईटीओ मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) प्रेषित।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :- 2/अ०प्र०-1-132/25-10065

/पटना, दिनांक:- 18.09.25

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना/कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 2/अ०प्र०-1-132/25-10065

/पटना/दिनांक:- 18.09.25

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, मधुबनी/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (प्रभारी लेखा शाखा), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-6/प्रशाखा पदाधिकारी-12, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ श्री सत्येन्द्र नारायण राय, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बांका-2 सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, जॉच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रमंडल, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :- 2/अ०प्र०-1-132/25-10065

/पटना/दिनांक:-18.09.25

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव 18/9/25

ज्ञापांक :- 2/अ०प्र०-1-132/25-10065

/पटना/दिनांक:-18.09.25

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव 18/9/25

